

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (649) निकाशि/अनु/04/1115

दिनांक - 21-7-13


आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है -

| क्र.सं. | महाविद्यालय का नाम व पता | विश्वविद्यालय का नाम | जुगति/ विषय/ शक्य |
|---------|--|---|---------------------------|
| 1 | महा विद्यालयी कन्या महाविद्यालय, सुरतगढ़ श्रीगंगानगर | महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | पूर्ण अनापत्ति विषय/ शक्य |

- संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में यू0ए0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय में संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संभव/ विषय/ शीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथ संख्या गोपनीयता में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताक्षरी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- संस्था द्वारा छापी जमा के रूप में जमा कराई गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था निदेशालय से सांख्यिकी प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समझौते में जमा करायेगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन0एस0एस0/एन0पी0सी/संवर्ग एवं रेंजरिंग (स्कूल/गाइड) में से किसी भी एक शैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कालेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 31 जुलाई, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगे।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।


निदेशालय,
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
4. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. सचिव, सम्बंधित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आगवत्ताला, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. शक्ति पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (अनुदान)

625
16/01/13

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (395) आकाशि/अनु/04/896

दिनांक:- 22-03-13

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2012-13 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

| क्र.सं. | पत्रा. सं. | महाविद्यालय का नाम व पता | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | विषय/ संकाय |
|---------|------------|--|---|---------------------------|
| | 395 | माता जीतोजी कन्या महाविद्यालय, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर | महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | पूर्व संचालित विषय/ संकाय |

सत्र 2013-14 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्र 2013-14 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में मय निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित करना होगा।
2. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :-
 - अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि-भवन के पंजीकृत दस्तावेज।
 - ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ पर संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र
 - स. स्टाफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
 - द. समस्त स्टाफ का पी.एफ. कटौती।
 - य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था।

उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई.सी. मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था गजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
9. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोविंग एवं रोजिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कालेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगा।
10. बिन्दु सं० 2 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 15 जून, 2013 तक आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें अन्यथा सत्र 2013-14 में प्रथम वर्ष में प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा एवं महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा।
11. संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी।



निदेशक,
 कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
4. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. संचालित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित फ़ाइलें।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (395) आकाशि/अनु/04/896

दिनांक- 22-03-13

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2012-13 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

| क्र.सं. | पत्रा. सं. | महाविद्यालय का नाम व पता | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | विषय/ संकाय |
|---------|------------|--|---|----------------------------|
| | 395 | माता जीतोजी कन्या महाविद्यालय, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर | महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | पूर्व संचालित विषय/. संकाय |

सत्र 2013-14 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्र 2013-14 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में मय निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित करना होगा।
2. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :
 - अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि-भवन के पंजीकृत दस्तावेज।
 - ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ पर संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।
 - स. स्टाफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
 - द. समस्त स्टाफ का पी.एफ. कटौती।
 - य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था।
 उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित सगयादधि में अनिवार्यतः जमा करावेगी।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
9. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोविंग एवं रेजिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना सम्बन्धित एन.एस.एस. कालेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगे।
10. बिन्दु सं० 2 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 15 जून, 2013 तक आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें अन्यथा सत्र 2013-14 में प्रथम वर्ष में प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा एवं महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा।
11. संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी।


 निदेशक,
 कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
4. कूल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त निदेशक (अनुदान)


 9/4/13

603
 9/4/13

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (395) आकाशि/अनु./04/2010

दिनांक 23-9-10

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अर्द्धत अनुमोदन को अनुसार अकादमी सत्र 2010-11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

| क्र.सं. | पत्रा. सं. | महाविद्यालय का नाम व पता. | सम्बन्धित विश्वविद्यालय | विषय/ संकाय |
|---------|------------|---|--|--|
| 1 | 395 | गाता जीतोजी कन्या महाविद्यालय, वार्ड नं० 9 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर | महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | पूर्व आवंटित संकाय एवं विषय तथा नवीन विषय बी.सी.ए. |

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
2. संस्था को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड पूर्ण कर अगले सत्र से पहले निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर व होना अनुरोध प्रमाणपत्रों के अभाव में संस्था के विद्यार्थी एकात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड :-
 - (i) सूचीसी योग्यताधारी स्थायी रजफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
 - (ii) मानदण्डानुसार संस्था के नाम भूमि व भवन
 - (iii) स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का भुगतान
 - (iv) समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती
 - (v) समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आदेश को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन परतुत करेगी।
8. संस्था आयुक्तालय से साक्षात् सुविधा प्राप्त कर सूची संकेत पर सरकार निर्धारित मापदण्डों में उक्त करवेगी।
9. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।



A. Lambani
आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, गा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुल सचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर।
7. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संश्लेषित पत्रावली।

M. K. Sharma
16/10/2010

452
16/10/10

23/9/10
आयुक्त-निदेशक (अनुदान)

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक 4 (395) आकाशि/अनु/04/2167

दिनांक 23-9-10

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009-10 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

| क्र.स. | पत्रा सं. | महाविद्यालय का नाम | महाविद्यालय का पता | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | विषय/ संकाय |
|--------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 395 | नाता जीतोजी कन्या महाविद्यालय | बार्ड नं० 9 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर | महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | पूर्व संचालित संकाय एवं विषय |

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में की.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी।
2. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/रनातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि, भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सत्र से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी।
5. संस्था भविष्य में समय पर सभी नापटण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी।
6. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी।
7. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुरस्कार प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करावेगी।

A. K. Ambani
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, ना० उच्च शिक्षा, मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
9. संबन्धित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।

Am
संयुक्त-निर्देशक (अनुदान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (169/395) आकाशि/अनु/04/2045

दिनांक 11 जून, 2009

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

| क्र.सं. | पत्रा. सं. | महाविद्यालय का नाम | महाविद्यालय का पता | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | विषय/ संकाय |
|---------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 169 | भ्रता जीतोजी कन्या महाविद्यालय | वार्ड नं० 9 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर | महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | पूर्व संचालित विषय संकाय |

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2009-10 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तराई और सत्र 2010-11 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों को पालन करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करावेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

(डा० एस.सी. ताम्पडिया)
संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

370
20/6/09

20/6/09

275
26/01/08

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एच. ए. (ए.एस.) आर/आर/जयपुर/04/501

दिनांक 21 जनवरी, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार शकावामी सत्र 2007-08 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है-

| क्र.सं. | पंजी सं. | महाविद्यालय का नाम | महाविद्यालय का पता | संबद्ध विश्वविद्यालय विषय/ संकाय |
|---------|----------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 126 | माता जीतोजी कन्या महाविद्यालय | घाई नं 9 सुखगढ़, भीमगढ़, जयपुर | बोकाचौर विश्वविद्यालय, बोकाचौर |

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सहायता प्राप्त करेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2008-09 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तराई और सत्र 2009-10 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
3. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर सरकारी व शैक्षिक संस्था अधिनियम 1987 के नियम 6 (1) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत सहायता व अन्य सहायता शर्तों की पूर्ण अनुपालना निम्नानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये विधे से निर्धारित समय पर निर्धारित आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था अधिनियम के अन्तर्गत सभी शर्तों की पूर्ण अनुपालना करेगी।
7. संस्था को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक मास को निरीक्षण हेतु अनुमोदन करने हेतु निरीक्षण स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।
8. संस्था आयुक्तानय से सांख्यिकी प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयकाल में जमा करेगी।

(पवन कुमार चौधरी)
आयुक्त

निम्नलिखित विनामिदित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव मा० उच्च शिक्षा गौरी नगरी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव मा० उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, भीमगढ़।
6. चिठ्ठी आदिमाता उच्च शिक्षा (पुनः) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य सचिव, बोकाचौर विश्वविद्यालय, बोकाचौर।
8. सचिव, राजस्थान महाविद्यालय (संविधानिक) पंजी।
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तानय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पदाधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, प्रमुख मा
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

Beau
2008

[Handwritten Signature]

(06)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफन (23)लेखा/आकाशि/अनु./2004-05/331

दिनांक 24/8/05

कुल सचिव
बीकानेर विश्वविद्यालय
बीकानेर

विषय:- अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार माता जीतोजी कन्या महाविद्यालय, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को सत्र 2005-06 से पूर्व में संचालित संकायों/ विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र में दो वर्ष की अभिवृद्धि निम्नांकित शर्तों के साथ की जाती है :-

1. संस्था को निर्धारित अवधि में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के परिशिष्ट -2 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचनाके कार्य भी पूर्ण करने होंगे । तत्पश्चात् संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करेगी ।
3. संस्था सभी विषयों में यू.जी.सी. अर्हताप्राप्त व्याख्याता नियुक्त करेगी ।
4. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियुक्त करेगी ।
5. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
6. संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
7. संस्था भविष्य में समय पर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगी ।
8. संस्था का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार निदेशालय को निरीक्षण हेतु आवेदन करना होगा तथा निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा ।

भवदीय,

१०

(ए.के. हेमकार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ।
8. अध्यक्ष/सचिव/संस्था । *माता जीतो जी कन्या महावि. सूरतगढ श्रीगंगानगर*
9. निजी सचिव, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. सांख्यिकी अनुभाग, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली ।

कलक्टर
सूरतगढ

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।